

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एफ.4(ई)/(पी-16/2011)/अलेसे-III/6272-73 दिनांक :- 16.9.14

आदेश

श्री पुरुषोत्तम दाधिच, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन) को उनके आवेदन एवं कोषाधिकारी, उदयपुर द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में निम्नांकित तालिका अनुसार कुल 40 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	असाधारण अवकाश अवधि		अवकाश का कारण
	दिनांक	कुल अवधि	
1.	20.05.2013 से 14.06.2013	26	स्वयं की शादी
2.	06.01.2014	01	आवश्यक कार्य
3.	20.01.2014 से 24.01.2014 तक	05	आवश्यक कार्य
4.	03.02.2014 से 07.02.2014 तक	05	आवश्यक कार्य
5.	19.02.2014 व 20.02.2014	02	आवश्यक कार्य
6.	18.03.2014	01	आवश्यक कार्य
	Total	40 दिवस	

भवदीय

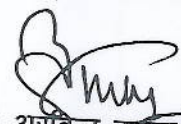


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(पी-16/2011)/अलेसे-III/6272-73 दिनांक :- 16-9-14

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- कोषाधिकारी, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री दाधिच के सेवा अभिलेख में लाल स्याही से आवश्यक इन्द्राज करे एवं भविष्य में किसी परिवीक्षाधीन लेखाकार/क0 लेखाकार द्वारा आवेदित असाधारण अवकाश निदेशालय से पूर्व में स्वीकृत करा कर ही अवकाश पर जाने की अनुमति देवे।
 - श्री पुरुषोत्तम दाधिच, कनिष्ठ लेखाकार कोषाधिकारी, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(3) उप निदेशांक (एस.ए.एस.) नम्बर 22-क/सा.इ.2


(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)